[1994]1 उम० नि० प० 200

हरेन्द्र नाथ मंडल

बनाम

बिहार राज्य

2 मार्च, 1993

न्यायमूर्ति डॉ० ए० एस० आनंद और एन० पी० सिंह

दण्ड संहिता, 1860 धारा 304 और 300—आपराधिक मानव वध—आपराधिक मानव-वध धारा 304 का एक आवश्यक अवयव है—यदि अभियुक्त द्वारा कारित क्षति से हत्या न हुई हो उसे धारा 304 के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता—धारा 304 का प्रथम भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित आशय से किया जाता है जबकि इसका दूसरा भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित ज्ञान के साथ किया जाता है।

दण्ड संहिता, 1860, धारा 101 और 104—मृत्यु के भिन्न कोई अपहानि कारित करने कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार—डाक्टर के साक्ष्य से क्षति का साबित होना—अभियोजनों पक्ष द्वारा घटना का सही ब्यौरा प्रस्तुत न किया जाना—फसल की कटाई लेकर विवाद से उत्पन्न घटना के दौरान किए गए हमले में अपीलार्थियों को प्राइवेट और संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है।

अपीलार्थी को अन्य दो अभियुक्तों के साथ आहत व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के लिए धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध से आरोपित किया गया था। उन पर दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन धान की फसल चोरी करने का आरोप भी लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभि० सा० 9 और भ्राता को यह पता चलने पर कि अभियुक्त उनके खेत से धान की फसल काट रहे थे वे अपने खेत पर पहुंचे थे। जब उन्होंने फसल काटने का कारण पूछा तो अपीलार्थी और दो अन्य ने उन पर हमला किया था। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी और एक अन्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया और अपीलार्थी को सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा दूसरे अभियुक्त को पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने के दंड से दंडादिष्ट किया। तीसरे अभियुक्त को धारा 323 के अधीन दण्डादिष्ट किया। इन सभी अभियुक्तों को धारा 379 के अधीन भी दोषसिद्ध ठहराया गया था और इसमें से प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी अपील का उपशमन कर दिया गया था। विद्वान न्यायमूर्ति ने अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन पारित दोषसिद्धि और दण्ड को अपास्त कर दिया था किन्तु उसे दण्ड संहिता की धारा 304 के अधीन के भाग 1 के अधीन सिद्धदोष

करते हुए दण्डादिष्ट किया गया था। धारा 379 के अधीन दोषसिद्ध और दण्ड को भी अपास्त कर दिया गया था। तीसरे अभियुक्त की धारा 323 के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा यह दलील दी गई थी कि जब कथित क्षति से हत्या कारित नहीं हुई थी तो अपीलार्थी को दण्ड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपील मंजूर करते हुए;

अभिनिर्धारित—दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 कोई अपराध सृजित नहीं करती है बल्कि यह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध के लिए दण्ड उपबंधित करती है। दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव-वध का अपराध करता है। दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार इस धारा में वर्णित पांच अपवादों के अंतर्गत आने वाली दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव-वध हत्या है। यह स्पष्ट है कि यदि कोई मृत्यु कारित की जाती है और यदि ऐसी मृत्यु धारा 300 के अपवादों में से किसी के अंतर्गत आती है तब ऐसा मानव वध हत्या की कोटि में नहीं आएगा। धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध के लिए दंड उपबंधित करती है और पांच अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाली दशाओं में, जहां हत्या कारित करने का कोई आशय उपदर्शित है और जहां केवल यह ज्ञान है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है किन्तु मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, उपदर्शित नहीं है, अधिरोपित की जाने वाली भिन्न-भिन्न शास्तियों को अधिकथित करती है। दूसरे शब्दों में यदि अभियुक्त का कार्य धारा 300 के उपखण्ड (1), (2) और (3) में से किसी के अंतर्गत आता है किन्तु पांच अपवादों में से कोई अपवाद लागू होता है तब ऐसा कार्य धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दण्डनीय होगा। तथापि यदि ऐसा कार्य धारा 300 के खण्ड 4 के अधीन आता है अर्थात् कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि इसकी पूरी संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, किन्तु किसी आशय के बिना मृत्यु कारित की जाती है और ऐसी मृत्यु अपवादों में से किसी के अंतर्गत आती है तब ऐसा कार्य धारा 304 द्वितीय भाग के अधीन दण्डनीय होगा। धारा 304 का प्रथम भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित आशय से किया गया है। जबकि द्वितीय भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित ज्ञान के साथ किया गया है। किन्तु धारा 304 के प्रथम भाग और द्वितीय भाग के अधीन किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने और दंडादिष्ट किए जाने से पूर्व धारा 300 के पांच अपवादों में वर्णित किसी परिस्थिति के अधीन उसके द्वारा कारित की गई मृत्यु होनी चाहिए, इसमें शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भाविक प्रयोग करते समय गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन स्व-नियंत्रण की शक्ति को खोने पर कारित की गई मृत्यु और पूर्व चिन्तन के बिना आवेश की तीव्रता में अचानक मार-पीट में हुई मृत्यु सम्मिलित है। विचाराधीन मामले में जब मृत्यु स्वत: कारित नहीं की गई थी तो अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन सिद्धदोष करने का कोई कारण नहीं था। (पैरा 6)

1993(3) eILR(PAT) SC 1

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि दोनों पक्षकार घटना के बहुत पहले से विवादित भूमि पर अपना-अपना हक और कब्जा होने का दावा कर रहे थे और घटना धान की फसल काटने के संबंध में घटित हुई थी। इस घटना में इत्तिला देने वाले (अभि० सा० 9) और उसके भ्राता को क्षतियां पहुंची थीं और इसी घटना में प्रथम और द्वितीय अपीलार्थी भी आहत हुए थे। अपीलार्थियों के अनुसार गोपाल रविदास ने निशाना बनाकर प्रथम अपीलार्थी के वक्ष पर भाले का प्रहार किया था किन्तु वह इसे बचा गया और इसलिए क्षतियां उसके हाथ पर आई थीं। प्रथम और द्वितीय अपीलार्थियों पर लाठियों से भी प्रहार किया गया था। उनकी क्षतियों की परीक्षा की गई थी और इन्हें चिकित्सक (प्रतीरक्षा सा० 8) ने साबित किया था। इसी प्रकार द्वितीय अपीलार्थी की परीक्षा जेल चिकित्सक (प्रतिरक्षा सं० 7) द्वारा की गई थी और इसी चिकित्सक ने क्षति-रिपोर्ट भी साबित की थी। जो भी हो, उनकी क्षतियां गंभीर प्रकृति की नहीं थी किन्तु यह इसका सौभाग्य ही था कि प्रथम अपीलार्थी अपने वक्ष पर निशाना बना कर प्रहार किए गए भाले से बच गया था। अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित घटना की रीति को, जिससे उन्हें क्षतियां पहुंची थीं, छुपाया गया था और अभियोजन द्वारा घटना का सही वर्णन नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से पूर्ण रूप से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह निष्कर्ष अभिलिखित कर लेने के पश्चात् कि अभियोजन पक्ष ने घटना का सही वर्णन प्रस्तुत नहीं किया था और अपीलार्थी को शरीर और संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार था। (पैरा 8 और 9)

अपीली (दाण्डिक) अधिकारिता : 1985 की दाण्डिक अपील सं० 462.

1978 (आर०) की दाण्डिक अपील सं० 146 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 21-12-84 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर० सी० कोहली

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रमोद स्वरूप

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह ने दिया।

न्या० सिंह–यह अपील उस एकमात्र अपीलार्थी की ओर से फाइल की गई है जिसे उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304 भाग I के अधीन दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया है।

2. सीताराम मण्डल और त्रिभंगा मण्डल सहित अपीलार्थी को गोपाल चन्द्र रविदास की हत्या का प्रयास करने के लिए धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध से आरोपित किया गया था। उन पर दंड संहिता की धारा 379 के अधीन ग्राम अमझौर, थाना बलियापुर, जिला धनबाद स्थित भू-खण्ड सं० 2760 से धान की फसल की चोरी करने का आरोप भी लगाया गया था।

3. अभियोजन के पक्षकथनानुसार तारीख 26-10-1975 को दोपहर लगभग 2 बजे इत्तिला देने वाले विष्णू रवि दास (अभि० सा० 9) और उसके भ्राता गोपाल चन्द्र रविदास को यह पता चलने पर कि अभियुक्त व्यक्ति उनके खेत से धान की फसल काट रहे थे, अपने खेत पर पहुंचे थे। जब उन्होंने विरोध करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों से यह पूछा कि वे उनकी फसल क्यों काट रहे हैं, तो अभियुक्त सीता राम मण्डल ने गोपाल चन्द्र रविदास के हाथ पकड़ लिए और अपीलार्थी हरेन्द्र नाथ मण्डल ने गोपाल चन्द्र रविदास के सिर पर उल्टी तांगी से हमला किया। उसी समय अभियुक्त त्रिभंगा मण्डल ने इत्तिला देने वाले के दाएं हाथ पर लाठी से आघात किया था।

4. विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी हरेन्द्र नाथ मण्डल और सीताराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया और अपीलार्थी हरेन्द्र नाथ मण्डल को सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा अभियुक्त सीता राम मण्डल को पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया अभियुक्त त्रिभंगा मण्डल को धारा 323 के अधीन सिद्धदोष किया गया था और उसे छह मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था। इन सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 379 के अधीन भी दोषसिद्ध ठहराया गया था और इनमें से प्रत्येक को एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था। ये सभी दंड साथ-साथ चलने के लिए निर्दिष्ट किए गए थे।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित होने के दौरान अपीलार्थी सीता राम मंडल की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी अपील का उपशमन कर दिया गया था। विद्वान न्यायमूर्ति ने अपीलार्थी हरेन्द्र नाथ मंडल के विरुद्ध धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के अधीन पारित दोषसिद्धि और दंड को अपास्त कर दिया था किन्तु उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन सिद्धदोष करते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया था। धारा 379 के अधीन दोषसिद्धि और दंड भी अपास्त कर दिया था। अपीलार्थी त्रिभंगा मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 323 के अधीन की गई दोषसिद्धि और दंड को भी अपास्त कर दिया गया था और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से यह दलील ठीक ही दी गई थी कि जब गोपाल चन्द्र रविदास, जिस पर इस अपीलार्थी द्वारा उल्टी तांगी से हमला करना अभिकथित किया गया है, उपर्युक्त क्षति से जीवित बच गया था तब अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन दोषसिद्ध करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

6. धारा 304 कोई अपराध सृजित नहीं करती है बल्कि यह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड उपबंधित करती है। दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। दंड संहिता की धारा 300

के अनुसार इस धारा में वर्णित पांच अपवादों के अंतर्गत आने वाली दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध, हत्या है। यह स्पष्ट है कि यदि कोई मृत्यु कारित की जाती है और यदि ऐसी मृत्यु धारा 300 के अपवादों में से किसी के अंतर्गत आती है तब ऐसा मानव वध हत्या की कोटि में नहीं आएगा। धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड उपबंधित करती है और पांच अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाली दशाओं में, जहां हत्या कारित करने का कोई आशय उपदर्शित है और जहां केवल यह ज्ञान है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है किंतु मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, उपदर्शित नहीं है, अधिरोपित की जाने वाली भिन्न-भिन्न शास्तियों को अधिकथित करती है। दूसरे शब्दों में यदि अभियुक्त का कार्य धारा 300 के उपखंड 1,2 और 3 में से किसी के अंतर्गत आता है किंतु पांच अपवादों में से कोई अपवाद लागू होता है तब ऐसा कार्य धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दण्डनीय होगा। तथापि यदि ऐसा कार्य धारा 300 के खंड 4 के अधीन आता है अर्थात् कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि इसकी पूरी संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, किंतु किसी आशय के बिना मृत्यु कारित की जाती है और ऐसी मृत्यु अपवादों में से किसी के अंतर्गत आती है तब ऐसा कार्य धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय होगा। धारा 304 का प्रथम भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित आशय से किया गया है। जबकि द्वितीय भाग वहां लागू होता है जहां कोई कार्य दूषित ज्ञान के साथ किया गया है। किंतु धारा 304 के प्रथम भाग और द्वितीय भाग के अधीन किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने और दंडादिष्ट किए जाने से पूर्व धारा 300 के पांच अपवादों में वर्णित किसी परिस्थिति के अधीन उसके द्वारा कारित की गई मृत्यु होनी चाहिए, इसमें शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भाविक प्रयोग करते समय गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन स्व-नियंत्रण की शक्ति को खोने पर कारित की गई मृत्यु और पूर्व चिन्तन के बिना आवेश की तीव्रता में अचानक मार-पीट में हुई मृत्यु सम्मिलित है। विचाराधीन मामले में जब मृत्यु स्वतः कारित नहीं की गई थी तो अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन सिद्धदोष करने का कोई कारण नहीं था।

7. अगला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या अपीलार्थी को तांगी के पिछले भाग से गोपाल चन्द्र रविदास के सिर पर क्षति कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। यह दलील दी गई थी कि इसी घटना के दौरान अपीलार्थी भी को क्षतियां पहुंची थीं जिनमें से एक क्षति सिर पर आई थी। अपीलार्थी के शरीर पर आई उपर्युक्त क्षतियों की परीक्षा देवबंद के सदर चिकित्सालय के सहायक सिविल सर्जन ने की थी। विचारण में इस सहायक सिविल सर्जन की साक्षी के रूप में परीक्षा हुई थी। अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन की गई अपनी परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे ये क्षतियां गोपाल चन्द्र रविदास द्वारा उसके वक्ष पर निशाना बनाकर मारे गए भाले से बचाव करते समय पहुंची थी। दूसरे अभियुक्त सीता राम मंडल की भी, जिसकी अपील लंबित होने के दौरान

मृत्यु हो गई है, देवबंद जेल के जेल-चिकित्सक द्वारा परीक्षा की गई थी और विचारण के दौरान इस चिकित्सक की भी साक्षी के रूप में परीक्षा की गई थी और उसने अभियुक्त सीता राम मंडल के शरीर पर आई क्षतियों को साबित किया था।

8. अभिलेख की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार अपना निष्कर्ष निकाला था –

> "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि दोनों पक्षकार घटना के बहुत पहले से विवादित भूमि पर अपना-अपना हक और कब्जा होने का दावा कर रहे थे और घटना धान की फसल काटने के संबंध में घटित हुई थी। इस घटना में इत्तिला देने वाले (अभि० सा० 9) और उसके भ्राता गोपाल रविदास को क्षतियां पहुंची थीं और इसी घटना में प्रथम और द्वितीय अपीलार्थी भी आहत हुए थे। अपीलार्थियों के अनुसार गोपाल रविदास ने निशाना बनाकर प्रथम अपीलार्थी के वक्ष पर भाले का प्रहार किया था किंतु वह इसे बचा गया और इसलिए क्षतियां उसके हाथ पर आई थीं। प्रथम और द्वितीय अपीलार्थियों पर लाठियों से भी प्रहार किया गया था। उनकी क्षतियों की परीक्षा की गई थी और इन्हें चिकित्सक (प्रतिरक्षा सा० 8) ने साबित किया था। इसी प्रकार द्वितीय अपीलार्थी की परीक्षा जेल चिकित्सक (प्रतिरक्षा सा० 7) द्वारा की गई थी और इसी चिकित्सक ने क्षति-रिपोर्ट भी साबित की थी। जो भी हो, उनकी क्षतियां गम्भीर प्रकृति की नहीं थीं किंतु यह उसका सौभाग्य ही था कि प्रथम अपीलार्थी अपने वक्ष पर निशाना बना कर प्रहार किए गए 'भाले' से बच गया था। अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित घटना की रीति को, जिससे उन्हें क्षतियां पहुंची थीं, छुपाया गया था और अभियोजन द्वारा घटना का सही वर्णन नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से पूर्ण रूप से इन्कार नहीं किया जा सकता।"

9. यह निष्कर्ष अभिलिखित कर लेने पर कि अभियोजन पक्ष ने घटना का सही वर्णन प्रस्तुत नहीं किया था और अपीलार्थी को शरीर और सम्पत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार था।

10. तदनुसार यह अपील मंजूर की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है।

अपील मंजूर की गई।

मह०/ऋ०